

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023—आश्विन 14, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. एफ ए 3-68-2017-1-पांच (45).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है कि धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए 3-68-2017-1-पांच (151) दिनांक 15 नवंबर, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी मानते हुए, “उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन संरचना उद्ग्रहण”, शब्दों और अंक के पश्चात् “उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (102 क) में परिभाषित निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य,” शब्दों और अंको को अंतः स्थापित किया जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. एफ ए 3-68-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-68-2017-1-पांच (45), दिनांक 6 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 6th October 2023

No. F A 3-68-2017-1-V(45).—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Madhya Pradesh Government's Notification No. F-A 3-68-2017-1-V (151) dt. 15 November 2017, namely :—

In the said notification, with deemed to have effect from the 1st October, 2023 after the words and figures "composition levy under section 10 of the said Act", the words and figures, "other than the registered person making supply of specified actionable claims as defined in clause (102 A) of Section 2 of the said Act," shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.